संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फ़ैक्स – 0755–2551387
ई–मेलः difbho@mp.gov.in
वेबसाइटः www.dif.mp.gov.in

क.एसएलबीसी/184–बैठक/संविसं/2023/ 516 – भोपाल, दिनांक 13-2-2023

एस0एल0बी0सी0 की बैठक दि. 23 जनवरी, 2023 का कार्यवाही विवरण

प्रति,

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, नवकरणीय उर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
6. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. सचिव, म0प्र0 शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. संचालक पेंशन संचालनालय, किसान भवन, भोपाल ।
9. क्षेत्रीय निदेशक, रिजर्व बेंक ऑफ इडिया, भोपाल ।
10. संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल
11. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
12. महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय भोपाल ।

विषयः– राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 184वीं बैठक का कार्यवाही विवरण ।

=0=

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **दिनांक 23 जनवरी, 2022 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उनके मंत्रालय स्थित प्रतिकक्ष में** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन किया गया आयोजित बैठक का अनुमोदित कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(पवन कुमार चौहान)
संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त

पृ.क.एसएलबीसी/184–बैठक/संविसं/2023/517 – भोपाल, दिनांक 13-2-2023

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. निज सहायक, आयुक्त, संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

संयुक्त संचालक
संस्थागत वित्त

मुख्य सचिव महोदय, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23 जनवरी 2023 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैकर्स समिति की 184 वीं बैठक का कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 184 वीं बैठक का आयोजन दिनांक 23 जनवरी 2023को श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता मेंकिया गया । बैठक में कार्यकारी निदेशक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, आयुक्त संस्थागत वित्त,संचालक वित्तीय सेवाएँ विभाग-भारत सरकार,क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक,मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड,महाप्रबंधक (एफआईडीडी) भारतीय रिजर्व बैंक, संयोजक एसएलबीसी सहित राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि द्वारा सहभागिता की गयी । बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ठ एक पर संलग्न है । बैठक में लिए गए निर्णयों तथा उन पर किए जाने वाले कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है-

बैठक में पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई ।

एजेंडा क्रमांक 1 :- राज्य में बैंकिंग वित्तीय वर्ष 2022-23 सितंबर तिमाही

सितंबर 2022 में कृषि, एमएसएमई, प्राथमिक क्षेत्र, आवास आदि क्षेत्रों के लिए प्रद्त ऋण में वर्ष-दर-वर्ष हुई प्रगति की समीक्षा की गई । मध्यप्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों के लिए प्रदत ऋण में 20.0% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि देश में यह वृद्धि दर 27.0% रही । मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाना चाहिए क्योंकि यह उद्यमिता को बढ़ावा देता है और रोजगार के नए अवसर निर्माण करता है । राज्य शासन द्वारा स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई आकर्षक अनुदान योजनाएँ शुरू की गयी है । बैंकों को इन स्व-रोजगार योजनाओं में वित्त पोषण कर एमएसएमई की प्रगति बढ़ाने की आवश्यकता है।

कार्यवाही- समस्त बैंक

एजेंडा क्रमांक 2 :- 54 चिन्हित स्थानों में बैंक की शाखाएँ खोलना

वित्तीय सेवाएँ विभाग भारत सरकारके निर्देशानुसार मध्यप्रदेश की 54 चिन्हित स्थानों/गाँवों में बैंक की शाखाएँखोली जानी है । एसएलबीसी द्वारा 9 बैंकों को लक्ष्य प्रदान किये जा चुके है । संबन्धित बैंकों ने बताया कि अबतक कुल 18 गाँवों में बैंक की शाखाएँ खोली जा चुकी है । बैंकों द्वारा कुछ समस्याओं जैसे कनेक्टिविटी की समस्या,भवन की समस्या, व्यवहार्यता का न होना आदि के कारण कुछ स्थानों पर बैंक की शाखा खोलने में असमर्थता व्यक्त की गई ।बैंकों को निर्देश दिये गए कि वे शाखा खोलने में आ रही समस्याओं से वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार को एसएलबीसी के माध्यम से अवगत कराएं जिससे की वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सके ।

कार्यवाही- सभी संबन्धित बैंक

एजेंडा क्रमांक 3 :- कृषि अग्रिम एनपीए वर्गीकरण हेतु फसल अवधि का निर्धारण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जब अल्पावधि फसल एवं दीर्घावधि फसल के लिए प्रदान किए गए ऋण के मूल या ब्याज की किश्त का भुगतान क्रमशः दो तथा एक फसल अवधियों के लिए अतिदेय रहता है तो उसको एनपीए माना जाएगा। फसल अवधि का निर्धारण प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा किया जाता है।

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने पत्र क्रमांक SB/MBR/SLBC/11599 दिनांक 01.11.2022 द्वारा इस विषय पर एसएलबीसी से प्रतिक्रिया मांगी थी। एसएलबीसी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं महाराष्ट्र द्वारा हाल ही में अल्पावधि फसल हेतु 12 महीने तथा दीर्घावधि फसल हेतु 18 महीने की फसल अवधि का निर्धारण किया गया है। संयोजक एसएलबीसी ने मध्यप्रदेश में भी वैसी ही फसल अवधि के निर्धारण का अनुरोध किया है। मुख्य सचिव महोदय ने इस संबंध में कृषि उप समिति में चर्चा कर यथोचित निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया।

कार्यवाही- संयोजक कृषि उप समिति (भारतीय स्टेट बैंक)

एजेंडा क्रमांक 4 :- पीएम कुसुम योजना

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा पीएम कुसुम योजना अंतर्गत प्रदाय ऋण पर बैंकों से ब्याज दर, मार्जिन मनी आदि कम करने हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचिव महोदय ने विभाग से वर्तमान ब्याज दर पर स्थापित सौर ऊर्जा सन्यंत्रों की व्यवहार्यता का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम तथा बैंको से चर्चा उपरांत तैयार किए गए Model ESCROW agreement को समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही-मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

एजेंडा क्रमांक 5 :- मध्यप्रदेश शासन सिविल पेंशन भोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

"मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 (01 जुलाई 2020 से लागू) के सहायक नियम 201 के प्रावधानों के अनुसार पेंशनर की, जिस माह में वह शासकीय सेवा से सेवानिवृत हुआ है, प्रतिवर्ष उसी माह में उसे जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा परिवार पेंशन के प्रकरण में पेंशन भोगी उस माह में 'जीवन प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करेगा जिस माह में उसकी परिवार पेंशन प्रारम्भ हुई है। मुख्य सचिव महोदय ने बैंकों को यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये। संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा विभाग को इस संबंध में एसओपी तैयार कर बैंकों को प्रेषित करें।

कार्यवाही- समस्त बैंक, संचालनालय- पेंशन एवं भविष्य निधि

एजेंडा क्रमांक 6 :- शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

केंद्र सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अपेक्षा के अनुरूप प्रगति न होने पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी। उन्होने बैंकों को सभी स्व-रोजगार योजनाओं अंतर्गत दिये गए लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिये।

कार्यवाही- समस्त बैंक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसआरएलएम ने कुछ बैंकों (इंडियन बैंक, यूको बैंक,केनरा बैंक, म.प्र. ग्रामीण बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक) द्वारा स्व सहायता समूहों को 1.50 लाख से कम क्रेडिट लिमिट स्वीकृत करने का मुद्दा उठाया। उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 20 जुलाई 2022 के अनुसार सभी बैंक पात्र एसएचजी को वार्षिक आहरण शक्ति (DP)के साथ 3 वर्ष की अवधि हेतु रु 6 लाख का न्यूनतमऋण स्वीकृत करेंगे। साथ ही प्रथम वर्ष हेतु आहरण सीमा मौजूदा मूल निधि का 6 गुणा या न्यूनतम रु 1.5 लाख, जो भी अधिक हो स्वीकृत करेंगे। ऐसे सभी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए।

कार्यवाही-इंडियन बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, म.प्र. ग्रामीण बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक

प्रमुख सचिव मत्स्य पालन ने कहा कि कुछ बैंक केसीसी पशुपालन के प्रकरणों को'भूमिहीन होना' कारण के आधार पर निरस्त कर रहे हैं जो कि केसीसी ऋण के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है। सभी बैंक केसीसी ऋण के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- समस्त बैंक

एजेंडा क्रमांक 7 :- शासकीय योजनाओं में एनपीए की समीक्षा

बैंकों ने शासकीय योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजना, पीएम-स्वनिधि एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में बढ़ते एनपीए पर चिंता जताई। संयोजक एसएलबीसी ने मध्यप्रदेश शासन से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजना अंतर्गत बढ़ते एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैंको द्वारा दिये गए प्रस्ताव पर जल्द विचार करने का अनुरोध किया।

कार्यवाही- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

एजेंडा क्रमांक 8 :- सहकारी बैंकों को Standardize Data Flow में Onboarding करना

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएलबीसी डाटा हेतु Standardize Data Flow सिस्टम लागू करने के लिए बैंकों को 2019में निर्देश दिये गए थे। इन निर्देशों के तहत बैंकों को सीबीएस से extract किए गए डाटा को

ही एसएलबीसी के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु कहा गया है। संयोजक एसएलबीसी ने सदन को बताया कि मध्यप्रदेश में सिर्फ सहकारी बैंकों द्वारा इस प्रणाली को अभी तक लागू नहीं किया गया है। जिसके कारण एसएलबीसी डाटा compilation में परेशानी होती है साथ ही ब्लॉक-वार एवं जिले-वार डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता हैं। अपेक्स बैंक के एमडी ने समिति को जल्द से जल्द ऐसी प्रणाली विकसित कर यह व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया।

कार्यवाही- सभी सहकारी बैंक/अपेक्स बैंक

एजेंडा क्रमांक 9 :- व्यक्तिगत ऋण हेतु डिजिटल स्टाम्प ड्यूटि शुरु करना

व्यक्तिगत ऋण हेतु डिजिटल स्टाम्प ड्यूटि से संबन्धित विषयों पर भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक ने चर्चा की। उन्होने राज्य शासन से पर्सनल ऋण हेतु डिजिटल स्टाम्प ड्यूटि को SAMPADA पोर्टल से integrate करने का अनुरोध किया।

कार्यवाही- महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक

अंत में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।